



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265068
CG-DL-E-30072025-265068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3423]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2025/श्रावण 7, 1947

No. 3423]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3506(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में NH552G के कि.मी. 133 से कि.मी.133.439 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपखण्ड अधिकारी, पिडावा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में NH552G के कि.मी. 133 से कि.मी.133.439 तक के भू-खण्ड के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: झालावाड़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रायपुर					
गांव का नाम: आसौंदिया					
1	309	निजी	बाराणी प्रथम	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
2	310	निजी	व्यावसायिक	0.0077 (हेक्टेयर)	0.0077
3	390	सरकारी	नदी	0.0323 (हेक्टेयर)	0.0323
4	393	निजी	बाराणी प्रथम	0.0052 (हेक्टेयर)	0.0052
5	397	निजी	बाराणी प्रथम	0.0082 (हेक्टेयर)	0.0082
6	398	सरकारी	रास्ता	0.0812 (हेक्टेयर)	0.0812
7	399	सरकारी	रोड	0.073 (हेक्टेयर)	0.073
8	400	सरकारी	रोड	0.1532 (हेक्टेयर)	0.1532
9	401	सरकारी	रोड	0.1644 (हेक्टेयर)	0.1644
10	403	निजी	बाराणी प्रथम	0.1088 (हेक्टेयर)	0.1088
11	404	निजी	बाराणी प्रथम	0.9227 (हेक्टेयर)	0.9227
12	406	सरकारी	नदी	0.2564 (हेक्टेयर)	0.2564
13	425/403	निजी	बाराणी प्रथम	0.0425 (हेक्टेयर)	0.0425
14	433/402	सरकारी	बाराणी प्रथम	0.0759 (हेक्टेयर)	0.0759
15	479/405	निजी	बाराणी प्रथम	0.1277 (हेक्टेयर)	0.1277
16	480/405	सरकारी	बाराणी प्रथम	0.062 (हेक्टेयर)	0.062
17	481/402	निजी	बाराणी प्रथम	0.3439 (हेक्टेयर)	0.3439
18	482/402	सरकारी	बाराणी प्रथम	0.1367 (हेक्टेयर)	0.1367
गांव का नाम: चंबली					
19	237	निजी	बाराणी प्रथम	0.0798 (हेक्टेयर)	0.0798

20	25	सरकारी	रोड	0.0462 (हेक्टेयर)	0.0462
21	27	निजी	बाराणी प्रथम	0.0078 (हेक्टेयर)	0.0078
22	379/237	निजी	व्यावसायिक	0.0561 (हेक्टेयर)	0.0561
Total					2.7933

[फा. सं. NH-552G/Ujjain_Jhalawar/(3a)/3A/8]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3506(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH552G in the stretch of land from Km. 133 to Km. 133.439 in the district of JHALAWAR in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO (R), PIRAWA in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH552G in the stretch of land from Km. 133 to Km. 133.439 in the district of JHALAWAR in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: JHALAWAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Raipur					
Village: Asondiya					
1	309	Private	barani pratham	0.0016 (Hectare)	0.0016
2	310	Private	Commercial	0.0077 (Hectare)	0.0077
3	390	Government	River	0.0323 (Hectare)	0.0323

4	393	Private	Baaraani Pratham	0.0052 (Hectare)	0.0052
5	397	Private	Baaraani Pratham	0.0082 (Hectare)	0.0082
6	398	Government	raasta	0.0812 (Hectare)	0.0812
7	399	Government	Road	0.073 (Hectare)	0.073
8	400	Government	Road	0.1532 (Hectare)	0.1532
9	401	Government	Road	0.1644 (Hectare)	0.1644
10	403	Private	Baaraani Pratham	0.1088 (Hectare)	0.1088
11	404	Private	Baaraani Pratham	0.9227 (Hectare)	0.9227
12	406	Government	river	0.2564 (Hectare)	0.2564
13	425/403	Private	Baaraani Pratham	0.0425 (Hectare)	0.0425
14	433/402	Government	Baaraani Pratham	0.0759 (Hectare)	0.0759
15	479/405	Private	Baaraani Pratham	0.1277 (Hectare)	0.1277
16	480/405	Government	Baaraani Pratham	0.062 (Hectare)	0.062
17	481/402	Private	Baaraani Pratham	0.3439 (Hectare)	0.3439
18	482/402	Government	Baaraani Pratham	0.1367 (Hectare)	0.1367
Village: Chanwli					
19	237	Private	Baaraani Pratham	0.0798 (Hectare)	0.0798
20	25	Government	Road	0.0462 (Hectare)	0.0462
21	27	Private	Baaraani Pratham	0.0078 (Hectare)	0.0078
22	379/237	Private	commercial	0.0561 (Hectare)	0.0561
Total					2.7933

[F. No. NH-552G/Ujjain_Jhalawar/(3a)/3A/8]

SHAIKH AMINKHAN, Director